निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्वाधीन सहयोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)
www.dicgc.org.in

संदर्भ सं.डीआईसीजीसी/आईओडी/ 2365/05.60.999/2017-18 15 सितम्बर, 2017

सभी बीमाकृत बैंक	All Insured Banks
महोदय/महोदया,	Dear Sir/Madam
जमा बीमा प्रीमियम पर माल और सेवा कर का भुगतान	**Payment of goods and Service tax on Deposit Insurance Premium**
डीआईसीजीसी के सभी सदस्य बैंकों को, जो छमाही आधार पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं, उनको 01 जुलाई 2017 से प्रीमियम/ ब्याज/ दंड राशि पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। सभी बैंकों को 30 जून 2017 के बाद से व्यक्तिगत रूप से उन जगहों की जीएसटीआईएन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जहां वो भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं ताकि सरकारी प्राधिकरणों से जीएसटी क्रेडिट का दावा करने के लिए डीआईसीजीसी के सदस्य बैंकों के लिए केवल एक ही समेकित कर चालान उत्पन्न किया जा सके।	All member banks of DICGC, paying premium on half yearly basis would require to pay GST @ 18% on premium/interest/penalty w.e.f. July 01, 2017. All banks have been advised on individual basis since June 30, 2017 to submit GSTIN number of the place where they intend to avail the credit to enable DICGC to raise consolidated single tax invoice for member bank in order to claim GST credit from Government Authorities.
कृपया ध्यान दें कि किसी स्थान विशेष के जीएसटीआईएन के साथ एक बार टैक्स चालान उत्पन्न किए जाने के बाद उसे पुनरीक्षित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। जैसाकि आप जानते हैं कि प्रीमियम राशि के "कम" या "अधिक" भुगतान के मामले में जीएसटी के अंतर्गत ऐसे कई चालान होते हैं जिनका जांच कार्य जटिल होता है। अत: बैंकों को निर्धारणीय जमाराशि की सही गणना करने और उसपर सही प्रीमियम का आकलन करने का निर्देश दिया जाता है।	It may be noted that once a tax invoice is raised at a particular location with a GSTIN, the same cannot be revised or modified. In case of premium amount paid "less" or in "excess" in GST regime, compliance of same involves complex follow up. Therefore, you are advised to compute Assessable Deposits correctly and remit premium accordingly.
भवदीय, एम. कृपानंदम (एम॰ कृपानंदम) महाप्रबंधक	Yours faithfully, M Krupanandam (M. Krupanandam) General Manager